

अधिसूचना :-

19-1-1996

वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 (संशुद्ध अधिनियम-53) की धारा 5(2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये उक्त अधिनियम की धारा 11(1) बों के अन्तर्गत ऐसी नौलगाव जो कृषकों की फसल को नुकसान पहुंचाती है, को मारने की अनुमति देने के लिये अजमेर, अलवर, बाड़मेर, बारा, बुंदी, भरतपुर, सोकर, झुन्झु, कोटा, जालोर, नागौर, श्री गंगानगर, दोसा, जोधपुर, टोंक, अलिसरोही, भीलवाडा, पाली एवं जयपुर जिलों के लिये वन विभागों को सूच्य अधिसूचना संख्या 11/27/वन/91/परमंक 3-3-94 के द्वारा मण्डल वन अधिकारी/सरक्षक/उप मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक को प्राधिकृत किया गया था।

वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 (संशुद्ध अधिनियम 53) की धारा 5(2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये अब उक्त अधिनियम की धारा 11(1) बों के अन्तर्गत ऐसी नौलगाव जो कृषकों की फसल को नुकसान पहुंचाती है, को मारने की अनुमति देने के लिये मण्डल वन अधिकारी/उप वन संरक्षक/उप मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक अजमेर, तथा जोधपुर को भी प्राधिकृत किया जाता है।

उपरोक्त के अतिरिक्त निम्नांकित जिलों के सम्मुख अधिकृत प्रादेशिक टैरीटोरियल रेंजरी को भी प्राधिकृत किया जाता है:-

जिले का नाम	प्रादेशिक टैरीटोरियल रेंज का नाम
1- अजमेर	बावर, नजीराबाद, अजमेर, किसनगढ़, पुष्कर ।
2- अलवर	अलवर, बानिसुर, बेदरगढ़, किसनगढ़ बांस, जयपुरगढ़, राजगढ़, धानागाजी ।
3- बाड़मेर	वाजुत, सिव चौबटन, सिवाना, सिन्दडाडा, वीरभूमना, बालोतरा, बाड़मेर ।
4- बारा	बारा, किसनगढ़, नाहरगढ़, डिपातडोद, धरु, गहवाड़ ।
5- बुंदी	मेनवा, दाबो, सिन्डोली, बुंदी, इन्द्रगढ़ ।
6- भरतपुर	बवाना, नईबई, भरतपुर, लिफरी, डोसा ।
7- भीलवाडा	भीलवाडा, माण्डलगढ़, गहपुरा, जवानपुर ।
8- सोकर	सोकर, नौमक शाना, श्री माधोपुर, पतेरपुर, दातारानगढ़ ।
9- झुन्झु	झुन्झु, नवलगढ़, सिन्डोली, उदयपुरवादी, जेठजी ।
10- कोटा	लाडपुरा, मण्डाना, कनवास, पन्तानपुर, डोडा ।
11- जालोर	जालोर, जलकालपुरा, सांभोर, रावोवाला, अडोडी ।
12- नागौर	नागौर, काला, कुवाभन, परवतगढ़, लडनू ।
13- श्री गंगानगर	रावो जलनगर, रावली, राजपमनगढ़, श्री गंगानगर, नौगलना, धनुषगढ़, बाडा, पदमपुर, करनपुर, रोज्नी, सुरगढ़ ।
14- दोसा	दोसा, बान्सीकुई, लालमोट, महुवा,

[illegible]

- जोश्या, डॉक्टर, बिनाला, बीजापुरा, पनोरनी,
चौखामबाबा ।

- देवली, टीक, भालपुरा, निवारी, जिनवारा ।

- बाजुरा, पिपलवाडा, शिरोही, सिरौडी ।

- पाली, वालो, सोजत, देहुरो, सुमरपुर, जेन्डा

- चाकसु, चांसु, बुदु, जणार, गहपरा, कोटपुलली,
बसो, मोटवाडा, बाँस, जमवार भागल, गहपरा,
पिपराटगार, जयपुर ।

भांगिंसे

अति उत्तम ॥ १००० ॥ १००० ॥ १००० ॥

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचना एवं आवाज का माध्यम के रूप में प्रेषित है:-

- 1-समस्त, प्रभु तत्त्व सिद्धि/प्राप्त सिद्धि/तत्त्व-0 प्राप्त प्राप्त ।

- २- निराज सचिव, समस्त मंत्रियों, राजन सचिवानुप, जयपुर ।

- ३- प्रजापति मुख्य वन संरक्षक, राजा जयपुर।

- मुठगा का, सरदा, एवं मुठगा कन्यजोव प्रतिपालक, रा. ७० जगपुर।

- 5- संग्रहित भूखण्डन-संरक्षण, राज. 1

- ६ - सत्यं हि जगत्पितामीश ।

- १- समस्त जगत् संरक्षक, महादेव। प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राज्ज जयपुर।

- 8- सोमवार को जन विधायक/महोदय जन अधिकारी, प्रधान मन्त्री जन सचिव
राज्य जनपुर।

- १- वन संरक्षण एवं क्षेत्र विवेक, राष्ट्रीय उद्यान राज्य स्तर, वन्य पशु वन्य
सामर्थ्य ।

- 10- देश विदेश, आद्य पारम्योत्तम, सारस्वत ।

- 11- सगरमाथा टेरोटो रंगस रैजी जारा प्रधान मुखा को मरहा, राज्ज जगपुर,

- 12- समस्त उप-मध्य-वर्ण्य जौध प्रतिपालक, द्वारा प्रमाण मुद्रा अनंतर
राष्ट्र जयपुर।

- 13- ગાંધી પાર્ક |

द्वितीयः भागः, १९५६

गुजर :- 15-1-95

30 APR 1997

...

जिले का नाम

प्रादेशिक टैरिफों रचना रीजो क न न

- | | |
|----------------|---|
| 1- राजसमंद | राजसमंद, नाथदारा, भीम, कुम्भलगड, माक्की |
| 2- धनुमानगढ | राक्षसपुर, डाहुतखर, माधेरा, धनुमानगढ, मस्तीविमर्दि, |
| 3- पिपत्तोडा | पिपत्तोडा, गौरीगोहर |
| 4- सवाहमाधोपुर | पिपत्तोडा, गौरीगोडा, तनगादेडा, डेगू, जोखेर, किजमपुर |
| 5- धोलपुर | गंगापुर, गुडाचन्द्रजी उड्डार |
| | सवाहमाधोपुर, जोखो, सवाहोडा, कैलादेवी |
| | माडी, धोलपुर, राजादेडा, गरमपुर |

इस प्रकार की अनुमति पूर्ण रूप से जायद्वार तन्तुष्ट होने के पावनी
की जाती कि जायदी ।

वर्णा २५

17507. 123

‘सिद्धोपाधि’ इति, वन

प्रति लिपि निम्नोक्त को सुपनाथ एवं दाया प्रकाशवाह हेतु प्रेषित है :-

- 1- तमस्त, प्रमुख गावन अधिव/गावन, गावन/गावन गावन गावन ।
- 2- तिमिज अधिव, तमस्त मन्त्रीगण, गावन अधिव/गावन, जयपुर ।
- 3- प्रधान मुख वन तमस्त, राज/जयपुर ।
- 4- मुख वन तमस्त, एवं मुख वन अधिव प्रतिय तमस्त, राज/जयपुर ।
- 5- तमस्त मुख वन तमस्त, राज/जयपुर ।
- 6- तमस्त अधिव जित/गावन ।
- 7- तमस्त वन तमस्त/गावन, राज/जयपुर ।
- 8- तमस्त उप वन तमस्त/मुख वन अधिव/गावन, प्रधान मुख वन तमस्त, जयपुर ।
- 9- वन तमस्त एवं वैद्य निवेद्य, राज/जयपुर उद्यान/गावन, राज/जयपुर ।

निरन्तर 2/5-तर

॥ श्री स्वामीजी महाराज, प्रभु श्री गुरुदेव, श्री गुरुदेव, श्री गुरुदेव ॥

13- गार्ड फाईल ।

गर्जर - 26.4.97

क्रमांक-५०-११४२७/वन/९१

जयपुर, दिनांक ३१-३-१९९१

Teek
P. K. 23

अधिसूचना

वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, १९७२ के नियम ५३ को धारा ५३२४ द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम को धारा ११११ अधिनियम के अन्तर्गत पशु नीतगाय जो कृषकों को पशुओं को नुकसान पहुंचाती है को मारने को अनुमति देने के लिए अजमेर, अलवर, बांसगिर, बांसगिर, भारतपुर, सीकर, झुंझार, कोटा, जालोर, तोंगीर, श्री गंगानगर, दोसा, जोधपुर, टोंगीर, भीलवाड़ा, पाली एवं जयपुर जिले के मण्डल वन अधिकारी/उप वन संरक्षक/अ-मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक को प्राविष्ट किया जाता है। इस प्रकार की अनुमति पूर्ण रूप से जाय कर सन्तुष्ट होने के पश्चात् ही जारी की जावेगी।

आशा है,

[Signature]
सी०एस० अदौरिया,
उप शासन सचिव, वन

प्रतिलिपि निर्मित लिखित कौ सचिव एवं सी वाचक को रखा है। प्रेषित है:-

- १। संयुक्त शासन सचिव/सासन सचिव/वि. क. शासन सचिव।
- २। निजि सचिव, समस्त मंत्रालय शासन सचिव, जयपुर।
- ३। प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राज्य जयपुर।
- ४। समस्त मुख्य वन संरक्षक, राज्य
- ५। सम्बन्धित जिलाधीन।
- ६। समस्त वन संरक्षक/मण्डल वन अधिकारी द्वारा प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राज्य जयपुर।
- ७। समस्त उप वन संरक्षक/मण्डल वन अधिकारी द्वारा प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राज्य जयपुर।
- ८। क्षेत्र निदेशक एवं वन संरक्षक, राष्ट्रीय उद्यान, रणथम्बौर बाघ परियोजना सवाईमाधोपुर।
- ९। क्षेत्र निदेशक बाघ परियोजना, सीकर।
- १०। समस्त उप मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, द्वारा प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राज्य जयपुर।

११। सी. डी. फाईल।

११६४-७३

२३-३-९१

सहायक शासन सचिव, वन

११६४-७३

क्रमांक: एफओ 11/27/वन/91

जयपुर, दिनांक 31.8.2000

-: अधिसूचना :-
=====

वन्य जीव संरक्षक अधिनियम, 1972 सन् 1972 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 53 की धारा 4 की उप-धारा 1 के खण्ड ग के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार राजस्थान राज्य के समस्त जिलों में पदस्थापित सभी जिला कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक उपखण्ड अधिकारी, पुलिस उप अधीक्षक, सहायक वन संरक्षक, विकास अधिकारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार एवं थाना प्रभारी अधिकारी को अपने-अपने क्षेत्राधिकार के उक्त अधिनियम की अनुसूची-111 में उल्लेखित नील गाय *Boselaphus Tragocamelus* के संबंध में उक्त अधिनियम की धारा-11 की उप धारा 1 के खण्ड ग के प्रयोजनों के लिये तत्काल प्रभाव से उक्त द्वारा प्राधिकृत अधिकारी नियुक्त करती है।

राज्यपाल की आज्ञा से,

लक्ष्मणसिंह

शासन उप सचिव, वन

- प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-
- 1- निजी सचिव, वन मंत्री, राजस्थान।
 - 2- निजी सचिव, शासन सचिव, वन।
 - 3- प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान, जयपुर।
 - 4- प्रधान मुख्य वन संरक्षक, कार्य आयोजना एवं वन बंदोबस्त राजस्थान, जयपुर।
 - 5- अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, राजस्थान, जयपुर।
 - 6- समस्त सम्भागीय आयुक्त।
 - 7- समस्त जिला कलेक्टर एवं जिला क मजिस्ट्रेट।
 - 8- समस्त मण्डल वन अधिकारी / उप वन संरक्षक।
 - 9- समस्त जिला पुलिस अधीक्षक।
 - 10- अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय को दो प्रतियों में असाधारण राजपत्र में प्रकाशित कर दो प्रतियाँ इस विभाग को भिजवाने हेतु।
 - 11- रक्षित पत्रावली।

हीरानाल गुप्ता